न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 02/2018

1. जयलाल पुत्र दौलाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र हजारी सिंह जाति भाटी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना तहसील नोहर।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक पंचायत समिति नोहर

दिनांक 27.10.2007 मि0न0 12/07

उपस्थितिः– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री महेश राठौड़ अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक : 17.09.2021**

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. अप्रार्थी ने पंचायत समिति नोहर में एक अपील इस आशय की पेश की है कि ग्राम पंचायत फेफाना के वार्ड न0 9 में सार्वजनिक जगह पर जहां पेशाब घर बना रखे है तथा यहीं से गांव के पानी की निकासी होती है। सरपंच ने रंजिश वंश इस जगह पर दिनांक 07.06.90 को राजकुमार पुत्र हेमराज के नाम से पटटा जारी कर दिया तथा राम कुमार से जयलाल ने क्रय कर लिया तथा जयलाल ने गली को शामिल करके 17 फूट बढाकर पटटा बना लिया जिससे खारिज किया जावें। उक्त प्रार्थना–पत्र बिना किसी आधार व बिना किसी मजमून के पंचायत समिति में पेश की। जिसमें बाद इसी प्रार्थना–पत्र के आधार पर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक पक्षीय तौर पर राजनैतिक रंजिश वंश बिना मौका देखें दिनांक 10.11.90 को मेरे नाम से जारी किये गये पटटे को खारिज कर दिया गया जो निम्न आधारों पर अपास्त योग्य है। उक्त निर्णय मनमाना व स्वेच्छाचारिता पूर्ण है तथा न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2. उक्त निर्णय प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान बिना मौका देखें राजनैतिक रंजिश वंश पेश किया है जो निरस्त योग्य है।

3. उक्त निर्णय एक साधारण प्रार्थना–पत्र जो रंजीश वंश पेश की गई थी जो अन्दर मियाद नहीं थी ना ही अपील की परिभाषा में आती है। ना कोई उचित कारण लिखा गया फिर भी विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर ने विधि विरूद्ध तरीके से मेरा पटटा खारिज करने की कानूनी भूल की है।

4. प्रार्थी का पटटा ग्राम पंचायत फेफाना की आबादी भूमि में है जिस पर प्रार्थी बुजर्गो के समय से ही काबिज चला आ रहा है। नियमितिकरण किया गया है जिस पर प्रार्थी ने मकान बना रखे है तथा मय परिवार आबाद है।

5. उक्त निर्णय बिना किसी आधार में सोची समझी साजिश के तहत किया गया है जिसका आज तक प्रार्थी को पता नही चला। दिनांक 05.01.2008 को गांव में सचिव ने प्रार्थी को मकान तोड़ने की कार्यवाही करने बाबत कहा तो पता चला इसके बाद मैनें पंचायत समिति में उक्त निर्णय बाबत पता किया व नकल लेनी चाही तो उन्होनें कहा की यहां ऐसी कार्यवाही की पत्रावली नहीं है तब मैनें सरपंच से कहा नकल लेकर अपील पेश कर रहा हू जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

निगरानी पेश कर निवेदन है कि पंचायत समिति नोहर का निर्णय दिनांक 27.10.2007 सुरेन्द्र सिंह बनाम जयलाल खारिज किया जावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी फेफाना का निवासी है। प्रार्थी ने प्रश्नगत पटटे का भूखण्ड रामकुमार से खरीद कर आबादी भूमि में स्थित भूखण्ड का पटटा विधिवत रूप से ग्राम पंचायत से बनाया था इसको अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये राजनैतिक रंजिशवश एवं बिना मौका देखें ही एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 27.10.2007 को खारिज कर दिया। प्रार्थी उस पटटे की आबादी भूमि में बुजर्गो के समय से काबिज चला आ रहा है तथा मकान बनाकर आवास कर रहा है। अतः निगरानी स्वीकार कर प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर का निर्णय दिनांक 27.10.2007 को अपास्त किया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित बहस में उल्लेखित किया कि निगरानी याचिका देरी से पेश की गई है। प्रार्थी जयलाल के नाम से कोई भी पटटा 10.11.1990 को जारी नहीं किया गया है। दिनांक 10.11.1990 को ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा रामकुमार छीम्पा के नाम से संकल्प संख्या 13 द्वारा जारी किया गया है। इसे पटटे के भूखण्ड पर रामकुमार कभी काबिज नही हुआ। जयलाल ने तथाकथित रामकुमार के पटटे से राजस्व स्टाम्प की चोरी करते हुए बिना विक्रय रजिस्ट्रेशन करवाए फर्जी तरीके से सरपंच से मिलीभगत कर दिनांक 20.05.2004 को पटटा बनवा लिया। पंचायत समिति नोहर में वर्णित अपील 12/07 के संबंध में बनाई गई मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त जगह पर मकान बना हुआ नहीं था। यह पटटा (दिनांक 20.05.2004) ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि के पूर्व में जारी पटटे के उपर पटटा जारी किया गया है जो कानूनन रूप से अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत पारित किया गया है। प्रार्थी जयलाल ने पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 27.10.2007 के विरूद्ध पूर्व में भी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में निगरानी संख्या 11/2007 प्रस्तुत की थी जो कि दिनांक 13.02.2008 को निगरानी या आवेदन पुनः लाने के अधिकार को सुरक्षित रखें बिना नोट प्रेस में खारिज करवा लिया था। अतः निगरानी प्रार्थी खारिज की जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत पटटे के भूखण्ड का पटटा ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा पूर्व में (मि.न. 23) दिनांक 10.11.1990 को रामकुमार पुत्र हेमराज छिम्पा को जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड रामकुमार से जयलाल के द्वारा खरीदने के तथ्य को दोनो पक्ष स्वीकार कर रहें है। लेकिन कोई पंजीबद्ध दस्तावेज इस संबंध में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी जयलाल को उक्त पटटे (पटटा स0 13 दिनांक 10.11.1990) की जगह को शामिल करते हुए अतिरिक्त भूमि का पटटा दिनांक 20.05.2004 को नियम 157 के अन्तर्गत नियम विरूद्ध जारी किया गया है। प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर के द्वारा अपील संख्या 12/07 में दिनांक 13.08.2007 को विवादित पटटे के भूखण्ड का मौका निरीक्षण भी किया गया एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया है। प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर के द्वारा निर्णय पारित करते समय कोई कानूनी भूल नहीं की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है। निर्णय दिनांक 27.10.2007 यथावत रखा जाता है। निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों। निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 17.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/09/2021

(भागीरथ भार्गव, आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official